।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

पत्रांक 2096 / 12-1, दिनांक, गोपेश्वर, 03/12/2021

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषयः– नारायणबगड़ चोपता मोटर मार्ग से पैठाणी मोटर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.583 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग का हस्तान्तरण (online no FP/UK/Road/36547/2018)

संदर्भः– फॉईल सं० 08बी/यू०सी०पी०/06/82/2021/एफ०सी०/447/दिनांक 29.07.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में अवगत कराना है कि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली ने अपने पत्र सं० 1553/36 सी० दिनांक 14.10.2021 से प्रस्ताव में लगे आपत्ति का निराकरण कर सूचना निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है:–

क्र०सं०	प्रस्ताव में पायी गई कमी	निराकरण
1	प्रस्ताव के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि कि Alternative का परीक्षण नहीं किया गया है। प्रस्तावित मार्ग habitation तक नही जा रहा है तथा habitation के दूसरे छोर से खुल–वन–क्षेत्र से भी मार्ग प्रस्तावित किया जा सकता है । अतः राज्य सरकार इस पर अपना स्पष्टीकरण प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करे तथा लाभान्वित होने वाले ग्राम की स्थिति के०एम०एल० फाईल पर अंकित कर ऑनलाईन पैरा C(iii) (b), Part I पर अपलोड करने का कष्ट करे।	प्रस्ताव हेतु नियमानुसार 02 Alternative का परीक्षण किया गया है तथा न्यूनतम वन भूमि वृक्षों एवं ग्राम वासियों गठित किया गया है। मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 02 किमी० है एवं इस स्वीकृत मार्ग से habitation की दूरी मात्र 100–150 मी० है जिसको उत्तराखण्ड शासन के नियमानुसार 100–150 मी० दूरी पर मार्ग से जुड़ा माना जाता है। Alternative समरेखण पर दूसरी ग्राम सभा की भूमि पड़ती है एवं Alternative alignment के क्षेत्र के भुस्खलन प्रभावित होने की भी संभावना है। लाभांवित होने वाले ग्राम के KML File पर अंकित कर ऑनलाईन पैरा C(ii) (B), Part I में अपलोड कर दिया गया है।
2	Shape of CA area in KML file is not matching with the shape shown in digital map. The State Government may submit/upload the KML file and digital map of 3.80 ha CA carea having the Shape of CA area matching in the both file.	Shape of CA area in KML file and shape shown in digital map are same.
3.	FRA of DM uploaded is uploaded for non-linear proposal However the State Government may submit the FRA related information/ documents prior to the issuance of the Stage II approval	FRA of DM is now currected and uploaded for linear proposal. **(Attachment-1)**
4.	Density is mentioned as zero in the NPV calculation sheet. State Government may submit Clarification in this regard.	पूर्व मे प्रस्ताव में संलग्न एन०पी०वी० में Density एवं एन०पी०वी० की दर टंकण की त्रुटिवंश गलत अंकित होने कारण पुनः संशोधित एन०पी०वी० का आंकलन शीट संलग्न कर प्रेषित की जा रही है, तथा ऑनलाईन पार्ट ।। में भी अपलोड किया जा रहा है। **(संलग्नक–2)**
5.	CA Site suitability is not found uploaded State Government may upload the same.	CA Site Suitability certificate is uploaded. **(Attachment-3)**

अतः उक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही की कृपा करे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः– 2096 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

01

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI

Ph. No :- 01363-271224 e_mail :- eecdthrl.pwduk@gov.in

पत्रांक / 36सी0 दिनांक 14 /10/2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषयः– जनपद चमोली में नारायणबगड़–चोपता से पैठाणी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.583 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग का हस्तान्तरण (online No-FP/UK/ROAD/36547/2018)

सन्दर्भः– फाईल संख्या 8बी./यू0सी0पी0/06/82/2021/एफ0सी0/447 दिनांक 29/07/2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में सन्दर्भित पत्र द्वारा लगाई गयी आपत्तियों का निराकरण कर पुनः अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

क0स0	आपत्तियाँ	आपत्ति का निराकरण
1	प्रस्ताव के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि alternatives का परीक्षण नहीं किया गया है। प्रस्तावित मार्ग habitation तक नही जा रहा है तथा habitation के दूसरे छोर से खुले–वन क्षेत्र से भी मार्ग प्रस्तावित किया जा चुका है। अतः राज्य सरकार इस पर अपना स्पष्ट प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा लाभान्वित होने वाले ग्राम की स्थिति KML file पर अंकित कर ऑनलाईन पैरा C(ii) (b), part I पर अपलोड करने का कष्ट करें।	प्रस्ताव हेतु नियमानुसार 02 Alternatives का परीक्षण किया गया है। तथा न्युनतम वनभूमि वृक्षों एवं ग्राम वासियों की सहमति के आधार पर उत्तम समरेखण पर ही प्रस्ताव गठित किया है। मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 02 किमी0 हे। एवं इस स्वीकृत मार्ग से habitation की दुरी मात्र 100–150 मी0 है जिसको उत्तराखण्ड शासन के नियमानुसार 100–150 मी0 दूरी पर मार्ग से जुड़ा माना जाता है। Alternatives समरेखण पर दूसरी ग्राम सभा की भुमि पड़ती है। एवं Alternatives allgnment के क्षेत्र के भुस्खलन प्रभावित होने की भी सम्भावना है। लाभान्वित होने वाले ग्राम के KML file पर अकिंत कर आनॅलाईन पैरा C(ii) (b), part I में अपलोड कर दिया गया है।
2	Shape of C.A area in KML file is not matching with the shape shown in digital map. The state Government may submit/upload the KML file and digital map of 3:80 ha CA area having the shape of CA area matching in the both files.	Shape of C.A area in KML file and shape shown in digital map are same.
3	FRA of DM uploaded is uploaded for non-linear proposal However the state Government may submit the FRA related information/ documents prior to the issuance of the stage-II approval.	FRA of DM is now currected and uploaded for linear proposal. 4110

Scanned with CamScanner

4	Density is mentioned as zero in the NPV calculation sheet. State Government may submit clarification in this regard.	Corrected density is mentioned in NPV calculation sheet.
5	CA site suitability certificate is not found uploaded state Government may upload the same.	CA site suitability certificate is uploaded.

संलग्न:- चार शतेदी पे 32 नग

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
थराली चमोली।

1573/36 नि०
पत्रांक ~~1573~~ / दिनाकित् 15/11/21

प्रतिलिपिः— भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— अधीक्षण अभियन्ता सातॅवा वृत्त लो०नि०वि० गोपेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— सहायक अभियन्ता प्रथम निर्माण खण्ड लो०नि०वि० थराली को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
थराली चमोली।

Scanned with CamScanner

Attachement 1.6

FORM-I

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector, Chamoli

No--- Dated-04/10/2021

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 1.583 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public Works Department for Construction of Narayanbagar-Chopta Motor Road to Paithani Motor Road. in Chamoli district falls within jurisdiction of Paithani, Banela village (s) in Tharali tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.583 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी
चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

Scanned with CamScanner

Attachement 1.6 (A)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
District Chamoli (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.-

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Sri .Himanshu..Khurana......... I.A.S deputy commissioner, on dated .... at time .11:30.A.M......at Chamoli in which application claiming rights in Paithani, Banela area measuring 1.583 hect for the Construction of Narayanbagar-Chopta Motor Road to Paithani Motor Road. forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Tharali sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Gopeshwar

Dated: 04/10/2021

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe
जिला अधिकारी
चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

Scanned with CamScanner

Attachement 1.6 (B)

परियोजना का नाम :— जनपद चमोली में नारायणबगड़—चोपता मोटर मार्ग से पैठाणी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.583 हे0 वन पंचायत, कुल 1.583 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, थराली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण—पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील थराली

उपखण्ड तहसील थराली परिक्षेत्र के अन्तर्गत 1.583 हे0 (हे0 आरक्षित वन भूमि, हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 1.583 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.583 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील थराली) की दिनांक 08/09/2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सुधीर कुमार PCS, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री सुधीर कुमार पी0सी0एस0 उपजिलाधिकारी —— अध्यक्ष

2— श्री हरीश थपलियाल उप प्रभागीय वनाधिकारी —— उपजिलाधिकारी थराली

3— श्री विपिन राणा सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य / सचिव

4— श्री रणजीत सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र —— सदस्य

5— श्री नारायण राम बी0डी0सी0 क्षेत्र —— सदस्य

6— श्री .... बी0डी0सी0 क्षेत्र —— सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया किजनपद चमोली में नारायणबगड़—चोपता मोटर मार्ग से पैठाणी तक मोटर मार्ग के परियोजना हेतु 1.583 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

Scanned with CamScanner

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड तहसील थराली परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद चमोली में नारायणबगड़–चोपता मोटर मार्ग से पैठाणी तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1.583 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – थराली
जनपद – चमोली

उपजिलाधिकारी
थराली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – थराली
जनपद – चमोली

उपजिलाधिकारी
थराली

Scanned with CamScanner

Attachement 1.6 (D)

दिनांक 24-01-2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ......पैठनी............

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	सर्वेन्द्र सिंह परिहार	[signature]
2-	भरत सिंह	[signature]
3-	मोहन प्रसाद पाण्डे	मोहन प्रसाद पाण्डे
4-	राम सिंह रैतैला	[signature]
5-	धनसिंह परिहार	
6-	त्रिलोक सिंह	[signature]
7-	विरेन्द्र सिंह	[signature]
8-	धनी राम	धन्नी राम
9-	दल्ली राम	दल्ली राम
10-	महिपाल राम	महिपाल राम
11-	सुनीता देवी	सुनीता देवी
12-	चम्पा देवी	चम्पा देवी
13-	पुष्पा देवी	पुष्पा देवी
14	कुन्दर सिंह	[signature]
15-	खिलाप सिंह	[signature]

ह0 / सुनीता देवी

ग्राम प्रधान

Attachement 1.6 (C)

परियोजना का नाम :— जनपद चमोली में नारायणबगड़—चोपता मोटर मार्ग से पैठाणी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.583 हे0 वन पंचायत, कुल 1.583 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम — वनेला (ग्राम- काण्डा ख्वाड़)

तहसील — थराली, जनपद — चमोली

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत जनपद चमोली में नारायणबगड़—चोपता मोटर मार्ग से पैठाणी तक मोटर मार्ग हेतु (1.583 हे0 वन पंचायत, भूमि) अर्थात कुल 1.583 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ....वनेला........ द्वारा दिनांक........ 24-01-15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। ' उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ....काण्डा ख्वाड़........) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

अम्बी देवी
24-01-15

Attachement 1.6 (D)

दिनांक 24/01/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कनेवा (ग्राम कान्डा ब्लाड़)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री दयाल सिंह तड़ागी	[illegible]
2.	" धर्म सिंह रौतेला ([illegible])	[illegible]
3.	" दमयन्ती देवी	दमयन्ती देवी
4.	" नन्दन सिंह तड़ागी	[illegible]
5.	" अब्बल सिंह तड़ागी	अब्बलसिंह
6.	" धर्म सिंह रौतेला	धर्मसिंह
7.	कुवर सिंह तड़ागी	[illegible]
8.	पार्वती देवी	पार्वती देवी
9.	महावीर सिंह तड़ागी	[illegible]
10.	दीपाल सिंह तड़ागी	[illegible]
11.	नीरज सिंह तड़ागी	[illegible]

ह0/- आनन्दी देवी

ग्राम प्रधान 24-01-15

Scanned with CamScanner

प्रपत्र --50

संशोधित एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

परियोजना का नामः– जनपद चमोली में नारायणबगड़ चोपता मोटर मार्ग से पैठाणी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.583 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार हैः–

1– ईको–क्लास श्रेणी – III

2– हरियाला का घनत्व– 0.3

3– एन0पी0वी0 की दर प्रति रू0 6,57,000

4– आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल– 1.583 है0

5– कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 10,40,031.00

वन क्षत्राधिकारी
पिंडर रेंज
नारायणबगड़

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

Scanned with CamScanner